रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 112] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 13, 2001/फाल्गुन 22, 1922

No. 112] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2001/PHALGUNA 22, 1922

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2001

सा.का.नि. 179(अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यासी-मंडल द्वारा बनाये गये और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दर्शित जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृत्ति) द्वितीय संशोधन विनियम, 2001 का अनुमोदन करता है।

अनुसूची

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियां का प्रयोग करते हुए जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास का न्यासी मंडल निम्नलिखित विनियमावली बनाते हैं :

संक्षिप्त नाम और विनियोजन :

1. यह विनियमावली जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास कर्मचारी (सेवा निवृति) द्वितीय संशोधन विनियम, 2001 कही जाएगी। यह विनियमावली दिनांक 31 मार्च, 2001 से लागू होगी।

सेवा निवृत्त :

2. विनियम 3 में, उप विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित होगा :—

(1) जब तक इन विनियमों में अलग से विनिर्दिष्ट न किया गया हो, प्रत्येक कर्मचारी उस महीने की आखिरी तारीख को जब वह 58 (अट्ठावन) वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, दोपहर में अपनी सेवा से निवृत्त होगा।

(2) विनियम 3 के उप विनियम 4 के अंतर्गत टिप्पणी में खंड 4 में शब्द ''साठ'' के स्थान पर ''अट्ठावन'' प्रतिस्थापित होगा।

[फा. सं. पी आर-12016/48/2000-पी ई-I]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी :

(i) मूल विनियम दिनांक 17 जुलाई, 1995 को भारत के राजपत्र (असाधारण) में सा.का.नि. 550(अ) द्वारा प्रकाशित हुई थी।

(ii) जनेप न्यास कर्मचारी (सेवानिवृत्ति) प्रथम संशोधन विनियम, 1998 भारत के राजपत्र में (दि. 23 जून, 1998 को) सा.का.नि. 354(अ) द्वारा प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF SHIPPING

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13 March, 2001

G.S.R. 179(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Jawaharlal Nehru Port Trust (Retirement) Amendment Regulation, 2001, made by the Board of Trustees for the Port of Jawaharlal Nehru Port Trust and set out in the schedule annexed to this notification.

SCHEDULE

In exercise of the powers conferred under Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of Jawaharlal Nehru Port hereby makes the following regulations, namely:—

Short Title and Application :

1. These regulations shall be called the Jawaharlal Nehru Port Employees (Retirement) Second Amendment Regulations, 2001. They shall come into force from 31st March, 2001.

Retirement :

2. In Regulation 3 for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

(1) Except as otherwise provided in these regulations, every employee shall retire from service on the afternoon of the last date of the month in which he attains the age of fifty eight years.

(2) In the note under sub-regulation 4 of regulation 3 :

In clause 4 of the words "sixty" shall be substituted by the words "fifty eight".

[F.No. PR-12016/48/2000-PE-I]

K. V. RAO, Jt. Secy.

Fotenote :

(i) The Principal regulations were published vide GSR No. 550(E) published in the Gazette of India, Extraordinary dated 17th July, 1995.

(ii) The JNP Employees (Retirement) First Amendment Regulations, 1998 were published in the Gazette of India vide GSR No. 354(E) dated 23rd June, 1998.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.